प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः—जीओ—57 / सम्प्रेक्षा / आई0ए0वाई(एससीएसपी)10—11 दिनांक 15 मार्च—2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2010—11 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या—173 / 26—ब0प्र0—2010—02बजट / 2010, दिनांक 28—02—2011 (छाया प्रति संलग्न) एवं शासनादेश संख्या—175 / 26—ब0प्र0—2011—15बजट / 2010, दिनांक 28—02—2011 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिनके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या—83 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से क्रमशः योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2010—11 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 28,98,76,000 /— (रूपये अठाइस करोड़ अठानबे लाख छियत्तर हजार मात्र) एवं योजनान्तर्गत वर्ष 2009—10 के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 1,70,29,000 /— (रूपये एक करोड़ सतर लाख उनतीस हजार मात्र) कुल रू0 30,69,05,000 /— (रूपये तीस करोड़ उनहत्तर लाख पांच हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक कालम—5 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:—

1— आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एससीएसपी हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2— आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति / जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

3— आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

4— आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय। किन्ही भी परिस्थियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

5— आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। आवंटित धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

6— यह धनराशि आहरित / व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एससीएसपी मद / टीएसपी योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

7— आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—83 के लेखाशीर्षक—"2505—ग्राम रोजगार—01—राष्ट्रीय कार्यकम—आयोजनागत—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—0101—इन्दिरा आवास योजना (के0—75/रा0—25—रा0)—27—सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

9— आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8— उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ—179 पर कर ली गयी है।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

14/3m

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः—जीओ—47/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(एससीएसपी)10—11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3— सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4— संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5— समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6— समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7— वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/ राज्य योजना आयोग—2 नियोजन अनुभाग—4
8— ग्राम्य विकास अनुभाग—3
9— विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन को शासनादेश संख्या—173/26—ब0प्र0—2010—02बजट/2010, दिनांक 28—02—2011 एवं शासनादेश संख्या—175/26—ब0प्र0—2011—15बजट/2010, दिनांक 28—02—2011 क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

(3)

पत्रांक–जीओ–47 /सम्प्रेक्षा/आईएवाई(एससीएसपी)/2010–11, दिनांक 14-03–2011 का
संलग्नक (इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद का नाम	विगत वर्ष के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आवंटन	योग	प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6
1	AGRA	0.9900	0.0000	0.9900	221.6400
2	ALIGARH	0.0000	0.0000	0.0000	158.0100
3	ALLAHABAD	0.0000	0.0000	0.0000	333.7300
4	AMBEDKARNAGAR	0.0000	0.0000	0.0000	208.3700
5	AZAMGARH	0.0000	0.0000	0.0000	484.1600
6	BADAUN	35.3500	0.0000	35.3500	375.9100
7	BAGPAT	0.0000	0.0000	0.0000	9.3800
8	BAHRAICH	0.0000	0.0000	0.0000	782.7400
9	BALLIA	9.3600	0.0000	9.3600	716.6500
10	BALRAMPUR	0.0000	3.4500	3.4500	339.1400
11	BANDA	0.0000	0.0000	0.0000	188.8500
12	BARABANKI	0.0000	0.0000	0.0000	613.8300
13	BAREILLY	0.0000	0.0000	0.0000	260.8800
14	BASTI	0.0000	0.0000	0.0000	375.5600
15	BIJNOR	18.9000	7.7900	26.6900	360.0700
16	BULANDSHAHAR	0.7900	0.0000	0.7900	226.2600
17	CHANDAULI	7.8000	0.0000	7.8000	160.0200
18	CHITRAKUT	0.0000	0.0000	0.0000	115.3300
19	DEORIA	0.0000	0.0000	0.0000	687.3400
20	ETAH	0.0000	0.0000	0.0000	136.4200
21	ETAWAH	3.9900	0.0000	3.9900	156.2900
22	FAIZABAD	0.0000	0.0000	0.0000	247.6700
23	FARRUKHABAD	0.0000	0.0000	0.0000	189.6200
24	FATEHPUR	0.0000	0.0000	0.0000	295.3100
25	FIROZABAD	0.0000	0.0000	0.0000	152.8900
26	G.B. NAGAR	0.0000	0.0000	0.0000	24.3000
27	GHAZIABAD	0.0000	0.0000	0.0000	71.3300
28	GHAZIPUR	0.0000	0.0000	0.0000	329.0600
29	GONDA	0.0000	0.0000	0.0000	703.1300
30	GORAKHPUR	0.0000	0.0000	0.0000	631.0400
31	HAMIRPUR	0.0000	63.9600	63.9600	120.8000
32	HARDOI	0.0000	0.0000	0.0000	478.0500
33	HATHRAS	0.0000	0.0000	0.0000	62.9600
34	J.B.F. NAGAR	0.0000	0.0000	0.0000	102.1900
35	JALAUN	0.0000	108.6500	108.6500	205.1800
36	JAUNPUR	6.7900	0.0000	6.7900	642.7000

(५)

पत्रांक–जीओ–५७ /सम्प्रेक्षा/आईएवाई(एससीएसपी)/2010–11, दिनांक 14-03–2011 का संलग्नक (इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद का नाम	विगत वर्ष के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आवंटन	योग	प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6
37	JHANSI	0.0000	0.0000	0.0000	189.8000
38	KANNAUJ	0.0000	0.0000	0.0000	140.8700
39	KANPUR DEHAT	0.0000	0.0000	0.0000	227.6300
40	KANPUR NAGAR	0.0000	0.0000	0.0000	233.4900
41	KANSHIRAM NAGAR	0.0000	0.0000	0.0000	105.3700
42	KAUSHAMBHI	3.5500	0.0000	3.5500	180.8400
43	KHERI	0.0000	0.0000	0.0000	1359.6400
44	KUSHINAGAR	0.0000	3.3800	3.3800	2169.9300
45	LALITPUR	0.0000	111.7700	111.7700	147.0300
46	LUCKNOW	0.0000	114.6600	114.6600	239.3900
47	MAHOBA	0.0000	48.4200	48.4200	91.4800
48	MAHRAJGANJ	0.0000	262.5200	262.5200	548.1200
49	MAINPURI	0.0000	0.0000	0.0000	151.1200
50	MATHURA	0.0000	64.5300	64.5300	134.7400
51	MAU	0.0000	0.0000	0.0000	183.7600
52	MEERUT	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	MIRZAPUR	0.0000	97.6300	97.6300	203.8300
54	MORADABAD	0.0000	0.0000	0.0000	345.1400
55	MUZAFARNAGAR	0.0000	0.0000	0.0000	134.5400
56	ORRAIYA	8.0400	72.4100	80.4500	159.2300
57	PILIBHIT	6.9800	149.9400	156.9200	327.0200
58	PRATAPGARH	0.0000	146.1800	146.1800	308.9700
59	RAE BARELI	0.0000	190.3600	190.3600	397.4900
60	RAMPUR	15.4500	5.6800	21.1300	214.9500
61	S. R. NAGAR	0.0000	59.4400	59.4400	124.0900
62	S.K.NAGAR	0.0000	105.4100	105.4100	220.0800
63	SAHARANPUR	0.0000	146.2400	146.2400	305.3500
64	SHAHJAHANPUR	8.5500	3.1400	11.6900	407.8100
65	SHRAWASTI	0.0000	125.6400	125.6400	262.3300
66	SIDHARTHNAGAR	1.8400	107.4700	109.3100	228.0700
67	SITAPUR	27.5400	375.5200	403.0600	811.6100
68	SONBHADRA	8.3000	84.1800	92.4800	171.7200
69	SULTANPUR	0.0000	167.9500	167.9500	350.6600
70	UNNAO	2.0000	208.0400	210.0400	436.3500
71	VARANASI	4.0700	64.4000	68.4700	180.7400
	STATE TOTAL	170.2900	2898.7600	3069.0500	22860.0000

(रूपये तीस करोड़ उन्हत्तर लाख पांच हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

संख्या- /26-ब0प्र0-2011-02 बजट/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

जी आर 47/सत्येन्द्र
14/3/2011

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 28 फरवरी,2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-570/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2010-11, दिनांक 23 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-347/26-ब0प्र0-2010-2(बजट)/2010, दिनांक 21 अप्रैल, 2010, शासनादेश संख्या-582/26-ब0प्र0-2010-2बजट/2010, दिनांक 06 जुलाई, 2010, शासनादेश संख्या-657/26-ब0प्र0-2010-02बजट/2010, दिनांक 06 अगस्त, 2010, शासनादेश संख्या-15/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/2010, दिनांक 12 जनवरी, 2011 तथा शासनादेश संख्या-122/26-ब0प्र0-2011-2 बजट/2010, दिनांक 22 फरवरी, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 2898.76 लाख (रू0 अट्ठाइस करोड़ अट्ठानबे लाख छियत्तर हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा, पहली किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी ।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

10/3/11

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्हीं भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

6- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

.....2/-

(6)

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

9- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-273/दस-2011, दिनांक 28.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 173 (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

(7)

संख्या- /26-ब0प्र0-2011-02 बजट/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक: 28 फरवरी,2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-570/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2010-11, दिनांक 23 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-347/26-ब0प्र0-2010-2(बजट)/2010, दिनांक 21 अप्रैल, 2010, शासनादेश संख्या-582/26-ब0प्र0-2010-2बजट/2010, दिनांक 06 जुलाई, 2010, शासनादेश संख्या-657/26-ब0प्र0-2010-02बजट/2010, दिनांक 06 अगस्त, 2010, शासनादेश संख्या-15/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/2010, दिनांक 12 जनवरी, 2011 तथा शासनादेश संख्या-122/26-ब0प्र0-2011-2 बजट/2010, दिनांक 22 फरवरी, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 2898.76 लाख (रू0 अट्ठाइस करोड़ अट्ठानबे लाख छियत्तर हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा, पहली किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग के पश्चात् दूसरी किश्त आहरित की जायेगी ।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्हीं भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

6- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

.....2/-

(8)

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

9- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-273/दस-2011, दिनांक 28.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-173 (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा सें,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 175 /26-ब0प्र0-2011-15 बजट/2010 (9)

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः २८ फरवरी,2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि मे से वित्तीय वर्ष 2009-10 की शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी0ओ0-38/सम्प्रेक्षा/ई0आ0यो0/2010-11, दिनांक 03 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 की शार्टफाल की धनराशि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से धनराशि रू0 170.29 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्ही भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

5- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

8- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।

.....2/-

(10)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-458/दस-2011, दिनांक 28.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-175 (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 175 /26-ब0प्र0-2011-15 बजट/2010

11

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण — लखनऊ : दिनांकः 28 फरवरी,2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि मे से वित्तीय वर्ष 2009-10 की शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी0ओ0-38/सम्प्रेक्षा/ई0आ0यो0/2010-11, दिनांक 03 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 की शार्टफाल की धनराशि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से धनराशि रू0 170.29 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्ही भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

5- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

8- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।

........2/-

(12)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-458/दस-2011, दिनांक 28.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 175 (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 173 /26-ब0प्र0-2011-02 बजट/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(13)

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 28 फरवरी,2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-570/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2010-11, दिनांक 23 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-347/26-ब0प्र0-2010-2(बजट)/2010, दिनांक 21 अप्रैल, 2010, शासनादेश संख्या-582/26-ब0प्र0-2010-2बजट/2010, दिनांक 06 जुलाई, 2010, शासनादेश संख्या-657/26-ब0प्र0-2010-02बजट/2010, दिनांक 06 अगस्त, 2010, शासनादेश संख्या-15/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/2010, दिनांक 12 जनवरी, 2011 तथा शासनादेश संख्या-122/26-ब0प्र0-2011-2 बजट/2010, दिनांक 22 फरवरी, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 2898.76 लाख (रू0 अट्ठाइस करोड़ अट्ठानबे लाख छियत्तर हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा, पहली किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी ।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्हीं भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

6- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

.....2/-

(14)

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

9- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-273/दस-2011, दिनांक 28.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा सें,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 175 /26-ब0प्र0-2011-15 बजट/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(15)

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 28 फरवरी,2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि मे से वित्तीय वर्ष 2009-10 की शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी0ओ0-38/सम्प्रेक्षा/ई0आ0यो0/2010-11, दिनांक 03 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 की शार्टफाल की धनराशि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से धनराशि रू0 170.29 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्ही भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

5- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

8- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।

.....2/-

(16)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-458/दस-2011, दिनांक 28.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा सें,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।